

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार, राजसमन्द (31213) जिला राजसमन्द
— प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

श्रीमती उमा कंवर पत्नी श्री महिपाल सिंह राठौड
श्री अलख प्रताप सिंह राठौड पुत्र श्री महिपाल सिंह राठौड
पत्ता निमडी चौक, आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द
पत्ता हाउस नं. 11, श्रीजी कंपाउण्ड, जतन एन.जी.ओ. के पास, सेलिब्रेशन मॉल,
मॉर्डन कॉम्प्लेक्स, भुवाना, जिला उदयपुर (राज.)

— अप्रार्थीगण/ऋणी/जमानतदार

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सरफेसी एकट

पत्रावली संख्या 34/2024

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 31.07.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार राजसमन्द ने दिनांक 10.07.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक ने ऋणी श्रीमती उमा कंवर पत्नी श्री महिपाल सिंह राठौड एवं श्री अलख प्रताप सिंह राठौड पुत्र श्री महिपाल सिंह राठौड पत्ता निमडी चौक, आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द, पत्ता हाउस नं. 11, श्रीजी कंपाउण्ड, जतन एन.जी.ओ. के पास, सेलिब्रेशन मॉल, मॉर्डन कॉम्प्लेक्स, भुवाना, जिला उदयपुर (राज.) को रुपये 14,50,000/- का दिनांक 22.11.2018 को ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियाँ/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :- 1. चल सम्पत्ति :- Hypothecation of Car Mahindra XUV500, RJ-27-UB-1530, Chassis no. MAIYU2WTUJ6K18601, Engine no. WTJ4K18246 जो निम्न पता हाउस नं. 11, श्रीजी कंपाउण्ड, जतन एन.जी.ओ. के पास, सेलिब्रेशन मॉल, मॉर्डन कॉम्प्लेक्स, भुवाना, जिला उदयपुर (राज.) 313001। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 20.04.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 04.05.2024 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रुपये 7,54,242/- दिनांक 01.05.2024 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे</p>	



या नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 04.05.2024 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने श्रीमती उमा कंवर पत्नी श्री महिपाल सिंह राठौड एवं श्री अलख प्रताप सिंह राठौड पुत्र श्री महिपाल सिंह राठौड पत्ता निमडी चौक, आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द, पत्ता हाउस नं. 11, श्रीजी कंपाउण्ड, जतन एन.जी.ओ. के पास, सेलिब्रेशन मॉल, मॉर्डन कॉम्प्लेक्स, भुवाना, जिला उदयपुर (राज.) को रूपये 14,50,000/- का दिनांक 22.11.2018 को ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियाँ/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :- 1. चल सम्पत्ति :- Hypothecation of Car Mahindra XUV500, RJ-27-UB-1530, Chassis no. MAIYU2WTU J6K18601, Engine no. WTJ4K18246 जो निम्न पता हाउस नं. 11, श्रीजी कंपाउण्ड, जतन एन.जी.ओ. के पास, सेलिब्रेशन मॉल, मॉर्डन कॉम्प्लेक्स, भुवाना, जिला उदयपुर (राज.) 313001।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार, राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार, राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



Bella
(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द